

—उन्नीस—

उत्तर प्रदेश शासन  
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5  
संख्या क0नि0-5-2690 / 11-2002-500 (40)-2000 टी0सी0  
लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2002  
अधिसूचना

प0आ0-343

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2001) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल 20 मई, 2002 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
टी0 जार्ज जोसेफ,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of provisions of sub-clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. K.N. 5-2690/XI-2002-500 (40)-2002-T.C. dated May 16, 2002 for general information :

**No. K.N. 5-2690/XI-2002-500 (40)-2000 T.C.**  
**Lucknow, Dated May 16, 2002**  
**Notification**

In exercise of the powers under sub-section (3) of section (1) of the Indian Stamp (Uttar Pradesh Second Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 38 of 2001), the Governor is pleased to appoint May 20, 2002 as the date on which the said Act shall come in to force.

By order,  
Sd/- Illegible  
T. GEORGE JOSEPH,  
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या 2608 / सत्रह-वि-1-1 (क)-25-2001  
लखनऊ, 15 नवम्बर, 2001  
अधिसूचना

## विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 8 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001

#### (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 38 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,-

(क) उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-

“(14) ‘लिखत’-‘लिखत’ के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अन्तरित, सीमित विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है,”

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

“(14-क) ‘दान की लिखत’-‘दान की लिखत’ के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो,”

(ग) उपधारा (22) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

“(22-क) ‘लोक आफिसर’-‘लोक आफिसर’ से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक आफिसर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक आफिसर भी है, अर्थात् :-

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण;

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई ‘वित्त पोषक बैंक’ या ‘केन्द्रीय बैंक’

3- मूल अधिनियम की धारा 29 में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक “सं0 40-(बन्धकविलेख)”, के पश्चात् शब्द और अंक “सं0 43-(टिप्पणी या ज्ञापन)” बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:-

“(च च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा,”

4-मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (1) में शब्द 'ऐसी रकम की (जो पांच रुपये से अनधिक और पचास नए पैसे से अन्यून हो), फीस, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे।' के स्थान पर शब्द "ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय" रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(1-क) कलक्टर यह अपेक्षा भी करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय :

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनःसंगणना की जायगी;

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायगा;

(1-ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो,

(1-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।"

6-मूल अधिनियम की धारा 42 में,-

(क) शीर्षक में, शब्द और अंक "धारा 35, 40 या 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 35, 40, 41 या 47-क" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 40 या धारा 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 40, धारा 41 या धारा 47-क" रख दिये जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 47-क में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :-

"(1)(क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पहले, धारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प

शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा।

(ख) जब खण्ड (क) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथाविहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है।

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा।”

(ख) उप धारा (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण:-उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।”

(ग) उप धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायंगी, अर्थात् :-

“(4-क) कलक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जायः

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायगी।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायगा।

(4-ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगत आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(4-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।”

8-मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

“(1-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय-चार, अध्याय-पाँच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा :

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किसी विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक ऐसी विवाद-ग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे:

परन्तु यह और कि जहां मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाय, वहां ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए सम्बन्धित कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूत न प्रस्तुत कर दे।”

9-मूल अधिनियम की धारा 62 में उपधारा (1) में शब्द “ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” के स्थान पर शब्द “ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छह माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” रख दिये जायेंगे।

## उद्देश्य और कारण

स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने और उसकी वसूली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय :-

- (क) “लिखत” की परिभाषा के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक स्टोरेज डिवाइस को सम्मिलित किया जाना;
- (ख) पद “दान की लिखत” और “लोक आफिसर” को परिभाषित किया जाना;
- (ग) “टिप्पणी या ज्ञापन” के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को स्पष्ट किया जाना;
- (घ) धारा-31 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क को, अधिसूचना द्वारा नियत करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त किया जाना;
- (ङ) हस्तान्तरण आदि के लिखत को, यदि न्यून मूल्यांकित हो, निपटाने के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था किया जाना;

(च) अध्याय-चार या पाँच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के लिये साठ दिन की सीमा रखा जाना।

तदनुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

**No. 2608 (2)/XVII-V-I-I (KA) 25-2001**  
**Lucknow, Dated November 15, 2001**  
**NOTIFICATION**

**Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bharatiya Stamp (Uttar Pradesh Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhinayam Sankhya 38 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 8, 2001.

**THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH SECOND  
AMENDMENT) ACT, 2001  
(U.P. Act No. 38 of 2001)**

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Second Amendment) Act, 2001.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. In section 2 of the Indian Stamp Act, 1899, hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) for sub-section (14), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(14) 'Instrument'- 'Instrument' includes every document and record created or maintained in or by an electronic storage and retrieval device or

media by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded;"

(b) after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(14-A) 'Instrument of Gift'-'Instrument of Gift' includes an instrument whether by way of declaration or otherwise, for making or accepting an oral gift,"

(c) after sub-section (22), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(22-A) 'Public Officer'-'Public Officer' means a Public Officer as defined in clause (17) of section 2 of the Code of Civil procedure, 1908 and includes every officer working in connection with the affairs of any of the following of organizations, namely:-

(a) any statutory body or authority constituted under any Uttar Pradesh Act;

(b) a 'Financing Bank' of 'Central Bank' as defined in clause (k) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;"

3. In section 29 of the principal Act,-

(a) in clause (a), after the words and figures, "No. 40 (Mortgage deed)," the words and figure, "No. 43 (Note or memorandum)" shall be inserted;

(b) after the clause (f) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ff) in the case of an Instrument of Gift, by the donee".

4. In section 31 of the principal Act, in sub-section (1) for the words, "such amount not exceeding five rupees and not less than fifty paise as the collector may in each case direct", the words, "such amount as may be fixed by the State Government by notification in the Official gazette", shall be substituted.

5. In section 40 of the principal Act, after sub-section (1). the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(1-A) The Collector shall also require, alongwith the amount of deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (b) of sub-section (1), the payment of a simple interest at the rate of one and half per cent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment:

Provided that the amount of interest under this sub-section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent court or authority.

(1-B) The amount of interest payable under sub-section (1-A) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.

(1-C) Where realisation of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any Court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (1-A) shall be payable also for any period

during which such order of stay remained in operation.

(1-D) Any amount paid or deposited by, or recovered from, or refundable to a person under the provisions of this Act, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest, in any, due from him."

6. In section 42 of the principal Act,-

(a) in the heading for the words and figures "sections 35, 40 or 41", the words and figures, "sections 35, 40, 41 or 47-A" shall be substituted.

(b) in sub-section (1), for the words and figures "section 40 or section 41," the words and figures, "section 40, section 41 or section 47-A" shall be substituted.

7. In section 47-A of the principal Act,-

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) (a) If the market value of any property which is the subject of any instrument, on which duty is chargeable on the market value of the property as set forth in such instrument, is less than even the minimum value determined in accordance with the rules made under this Act, the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 shall, notwithstanding anything contained in the said Act, immediately after presentation of such instrument and before accepting it for registration and taking any action under section 52 of the said Act, require the person liable to pay stamp duty under section 29, to pay the deficit stamp duty as computed on the basis of the minimum value determined in accordance with the said rules and return the instrument for presenting again in accordance with section 23 of the Registration Act, 1908.

(b) When the deficit stamp duty required to be paid under clause (a), is paid in respect of any instrument and the instrument is presented again for registration, the registering officer shall certify by endorsement thereon, that the deficit stamp duty has been paid in respect thereof and the name and the residence of the person paying them and registered the same.

(c) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the deficit stamp duty may be paid under clause (a) in the form of impressed stamps containing such declaration as may be prescribed.

(d) If any person does not make the payment of deficit stamp duty after receiving the order referred to in clause (a) and presents the instrument again

for registration, the registering officer shall, before registering the instrument, refer the same to the Collector, for determination of the market value of the property and the proper duty payable thereon."

(b) in sub-section (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation-The payment of deficit stamp duty by any person under any order of registering officer under sub-section (1) shall not prevent the Collector from initiating proceedings on any instrument under sub-section (3)"

(c) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(4-A) The Collector shall also require alongwith the deficit stamp duty or penalty required to be paid under clause (ii) of sub-section (4), the payment of a simple interest at the rate of one and half per cent per mensem on the amount of deficit stamp duty calculated from the date of the execution of the instrument till the date of actual payment.

Provided that the amount of interest under this sub-section shall be recalculated if the amount of deficit stamp duty is varied on appeal or revision or by any order of a competent court or authority.

(4-B) The amount of interest payable under sub-section (4-A) shall be added to the amount due and be also deemed for all purposes to be part of the amount required to be paid.

(4-C) Where realisation of the deficit stamp duty remained stayed by any order of any court or authority and such order of stay is subsequently vacated, the interest referred to in sub-section (4-A) shall be payable also for any period during which such order of stay remained in operation.

(4-D) Any amount paid or deposited by, or recovered from, or refundable to a person under the provision of this Act, shall first be adjusted towards the deficit stamp duty or penalty outstanding against him and the excess, if any, shall then be adjusted towards the interest, if any, due from him."

8. In section 56 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(1-A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person including the Government aggrieved by an order of the Collector under Chapter-IV, Chapter-V or under clause (a) of the first proviso to section 26 may, within sixty days from the date receipt of such order, prefer an appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, who shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard consider the case and pass such order thereon as he thinks just and proper and the order so passed shall be final.

Provided that no application for stay of recovery of any disputed amount of stamp duty including interest thereon or penalty shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of the payment of not less than one third of such disputed amount:

Provided further that where the Chief Controlling Revenue Authority passes an order for the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty or for the stay of the operation of any order appealed against and such order results in the stay of recovery of any stamp duty, interest thereon or penalty, such stay order shall not remain in force for more than thirty days unless the appellant furnishes adequate security to the satisfaction of the Collector concerned for the payment of the outstanding amount."

9. In section 62 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, "shall, for every such offence, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees", the words, "shall, for every such offence, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but which may extend to six months and with fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

## **STATEMENT OF OBJECT AND REASONS**

With a view to preventing the evasion of stamp duty and ensuring realisation thereof, it has been decided to amend the Indian Stamp Act. 1899 in its application to Uttar Pradesh mainly to provide for,-

(a) including the "Electronic storage device" within the definition of "Instrument",

(b) defining the expression "Instrument of Gift" and "Public Office",

(c) clarifying the chargeability of stamp duty on the instruments of "Note or Memorandum",

(d) empowering the State Government to fix, by notification, the fee under sub-section (1) of section 31,

(e) the procedure for dealing with the instrument of conveyance etc. if undervalued,

(f) limitation of sixty days for an appeal against the order of the Collector under Chapter-IV, Chapter-V or under clause (a) of the first proviso to section 26.

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Second Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

By order,  
Y.R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.